

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में मनियाछीना- भाटगढ़ मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

वेदपदार्थ दिनांक 19 दिसम्बर 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 24 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

150

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्या अभियंता लोनिविद उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 24 कार्यों को प्रारम्भिक प्रागणनों जिनकी कुल लागत ₹ 150.30 करोड़ 08 सत्तु सहित तथा लागत ₹ 1670.99 लाख है पर टी0ए/सी0 यिल्ट द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 166.79 लाख (३ सोलह करोड त्रिसट लाख पच्चासी हजार मात्र) की उक्षासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते ए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 मे संलग्नक क फॉलोअ अप-5 पर उलिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 ला अर्थात् कुल 24 कार्यों हेतु ₹ 2.40 लाख (दो लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपका निर्वाहन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल जिमांकित रावों के अधीन समर्थ स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं—

(1)- एतत् स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त क्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। नदोपपन्न शासनादेश सं०-1764/11।(2)/10-17(सांख्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 को व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) — आगणन ने उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हैं, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) — कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही वक़राशि में बचत हो रही है तो उसका सामायोजन पितृव्य आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ सक्कल की दृष्टि के मध्य सजगर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्य को समाप्त कराने के समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(५) - आगणत में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ग)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोद्योगिकी मंत्रालय-2008 एवं प्रकृत के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट में अनुअल के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

सी अनुपालन किया जायेगा।

(30) उपर्युक्तानुसार स्वीकृत आगमनों में एन0पी0बी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मन्त्रालय द्वारा प्रमाणित व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीनक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिवर्धन-04 जिला पंचायत आरंभिक-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05 सड़क/मार्ग/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-22-सड़क/मार्ग/सेतु आदि से विभागीय आय-व्यय से प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

संख्या 6/09/11(2)/14-अ.प्र.आ.00/2014 दिनांक 17 दिसम्बर 2014 को				
	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-438/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-मल्ल में पालपुर-सुनोनी-चौना-सोमड-जौरासी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.500	185.93	0.10
	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-439/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-मल्ल में नुबल-गोरडा-पुपुतीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14.00	199.30	0.10
13	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-440/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-मल्ल में पालपुर-सुनोनी-चौना-सोमड-जौरासी मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण कार्य।	10.00 + 72 mtr.	156.70	0.10
14	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-441/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-मल्ल में मण्डा-कुमारती-सोरे-नोरड मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	43.31	0.10
15	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-453/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आरे से सरयू नदी में धिराली (धिराली) गांव को जोड़ने हेतु झूला पुल का निर्माण।	72 mt	7.42	0.10
16	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-447/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में खरीही से सिमरणा सरमा होते हुए दमोला तक 3.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00 ✓	56.97	0.10
17	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-446/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में मनियालीना से मांटयाड होते हुए पगना तक 4.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00 ✓	68.04	0.10
18	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-445/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में बेहरगाव से बसराडा सोला तक 0.3 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)।	3.00 ✓	51.03	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-444/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले खरेही क्षेत्र के सतेश्वर सरयू नदी में मोटर पुल का निर्माण।	72 mt	8.90	0.10
20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-443/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में पगना से सतेश्वर तक 0.3 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00 ✓	51.03	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-452/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत सरयू नदी के कि.मी. 2 से स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मण गिरी के गांव तक 8.00 कि.मी. मोटर मार्ग का कार्य।	8.00	90.00	0.10

- प्रकार के सामग्री जाल वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त प्रसारित की जाकर प्रकाशित की जायेगी।
- प्रसारित की जा रहे कार्य में कोई भी अशुद्धता उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा।
- (1) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई विज्ञापित/मातृका रूप में अशुद्धता का पता चला है तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखकर कार्य को जारी किया जायेगा।
- (2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 22-लघुवीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजना-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।
- (3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-582/XXVII/(2)/2014 दि०-17 दिसम्बर, 2014 को जारी किया जा रहा है।

सहायक-सूचना

भवदीय

(अरविन्द सिंह ह्याक)
अपर सचिव

संख्या- 6/08 / 11(2)/14-33(प्र03ग0)/2014 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओकराय मादरा बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोनिदि, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता लोनिदि, उत्तराखण्ड।
10. गाई बुक।

(हस्ताक्षर)

अज्ञा से

(ए०एस० पाण्डे)
उप सचिव